संख्या-15/2020/1782/58-1-20-2/3(3)/12

प्रेषक,

गरिमा यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2020

विषय : अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाला पोषाहार (के.50/रा.50-के.+रा.) में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-316/बा0वि0परि0/लेखा/2020-21, दिनांक 06 जुलाई, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाला पोषाहार के लिए मानक मद 42-अन्य व्यय में कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 98000.00 लाख (रूपये नौ अरब अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष अनुपूरक पुष्टाहार हेतु सम्भावित व्यय के दृष्टिगत आवश्यक धनराशि केन्द्रांश रू0 25283.14 लाख एवं राज्यांश रू0 25283.14 लाख अर्थात कुल रूपये 50566.28 लाख (रू0 पांच अरब पांच करोड़ छाछठ लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी। आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक में नहीं रखा जायेगा।

(2) स्वीकृति धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/निर्देशों के अनुसार व्यय किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से एकमुश्त न करके प्रत्येक माह की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) यह धनराशि प्राप्त परिव्यय की सीमा में ही समाहित होगी। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

(8) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत किये जाये ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई न हो।

(9) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीक़ृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय। योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने पर किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि के व्यय की फेजिंग कर ली जाय और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर ही एस0सी0एस0पी0 की गाइड लाइन के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाये।

(12) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020, शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 तथा शासनादेश संख्या-7/2020-बी-1-306/दस-2020-231/2020, दिनांक 17 जून, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) चूंकि यह वितरण Lockdown की स्थिति में किया गया है, शत-प्रतिशत् Verification तथा quality check/certification के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (के.50/रा.50-के.+रा.) के मानक मद 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई4-548/दस-2020, दिनांक 10 अगस्त, 2020 के द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(गरिमा यादव)
विशेष सचिव ।

संख्या-15/2020/1782/58-1-20-2/3(3)/12, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in